कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, इलाहाबाद ।

पत्रांक -5038/15 दिनांक,इलाहाबाद, जनवरी, 19 ,2018 ।

सेवा में,

क्षेत्रीय बिक्री प्रबन्धक,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड,
इलाहाबाद विक्रय क्षेत्र,
इलाहाबाद।

विषयः-जनपद-इलाहाबाद में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 के आराजी संख्या-195 ग्राम-अबूसा (इलाहाबाद-वाराणसी रोड) एन0एच0-2(जी0टी0रोड) कि0मी0 224-225 के मध्य दॉयी पटरी पर तहसील-फूलपुर, इलाहाबाद में नये रिटेल आउटलेट एम0एस0 एवं एच0एस0डी0 सुविधा सहित के स्थापित किये जाने हेतु सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.097358 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक दो वृक्षों की अनुमति के सम्बंध में।

संदर्भः- उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक-पी-120/14-2-2017-800(116)/2017, दिनांक 18.01.2018।

उत्तर प्रदेश शासन का उपरोक्त पत्र जो आपको भी पृष्ठांकित है (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें। उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के नये रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.097358 हे0 संरक्षित वन भूमि बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुपालन हेतु शर्त संख्या-2 की प्रस्तर सं0-07 व 08 के अनुसार मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अर्न्तगत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5-3/2007- एफ0सी0, दिनांक 05-02-2209 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.097358 हे0 का रू0 6.26 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से (6.26 X 0.097358 = 60946.00) धनराशि रू0 60946.00 होगी।

शर्त संख्या-2 की प्रस्तर सं0-27 के अनुसार 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु यथा संशोधित वर्तमान दर के अनुसार धनराशि रू0 120420.00 होगी।

उक्त धनराशि अलग-2 मदवार प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण Compensetory Afforestation Fund Management and Planning Authority) Corporation Bank (भारत सरकार का उपक्रम) नई दिल्ली में आंन लाइन ई-पोर्टल के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा कराया जायेगा। तदोपरान्त पावती की छाया प्रति सहित सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाये, तत्पश्चात ही विधिवत स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित किया जायेगा।

अतः आप सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुपालन में बिन्दुवार लिखित सहमति के साथ अनुपालन आख्या उपलब्ध करायें जिससे प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

Divya

(दिव्या)
प्रभागीय निदेशक,
सा0वा0प्रभाग,इलाहाबाद।

पत्रांक /समदिनांक।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(दिव्या)
प्रभागीय निदेशक,
सा0वा0प्रभाग,इलाहाबाद।